




# कार्यालय महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला

आदेश क्रमांक 12/91-2016 Admn(4)

दिनांक, पंचकूला 28/03/2022

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग से प्राप्त आदेश क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय) दिनांक 09.03.2022, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करने बारे से सम्बन्धित है की प्रति, निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव।
3. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
4. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
5. निदेशालय सैकेण्डरी शिक्षा के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
6. रजिस्ट्रार शिक्षा (सैकेण्डरी)।
7. अधीक्षक तालमेल शाखा (सैकेण्डरी)।
8. पीएस/महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
9. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा मॉडल सांस्कृतिक स्कूल।
10. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक प्रशासन I तथा II।
11. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा शैक्षणिक।
12. सभी सहायक प्रशासन शाखा।
13. मुख्यालय बैवसाईट पर डालने के लिए।

  
अधीक्षक प्रशासन  
कृते: महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा  
हरियाणा पंचकूला

हरियाणा सरकार  
गृह विभाग  
आदेश

DCSE  
11.03.22  
21-3-2022(01)

10-3-2022

क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय)

दिनांक, चण्डीगढ़: 09.03.2022

चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्रधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12.03.2022 से 11.06.2022 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

दिनांक, चण्डीगढ़:  
08.03.2022

(राजीव अरोड़ा)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/7/1996-2 गृह गोपनीय

दिनांक, चण्डीगढ़: 09.03.2022

एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इन आदेशों को राज्य के राजपत्रित गजट में छपवा दिया जाए तथा इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भेजी जाएं।

अधीक्षक, गृह (गोपनीय)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय)

दिनांक, चण्डीगढ़: 09.03.2022

एक प्रति हरियाणा के सभी जिलाधीशों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। कृपया इसकी पावती भेजें।

अधीक्षक, गृह (गोपनीय)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय)

दिनांक, चण्डीगढ़: 09.03.2022

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
- 2 आयुक्त, अम्बाला/हिसार/रोहतक/गुरुग्राम/करनाल/फरीदाबाद मण्डल।
- 3 विधि परामर्शी एवं सचिव, हरियाणा सरकार एवं विधायी विभाग।
- 4 पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकुला।
- 5 महानिदेशक, जेल हरियाणा सेक्टर-14 पंचकुला।
- 6 पुलिस महानिरीक्षक, हिसार, अम्बाला/रोहतक/करनाल/दक्षिण रेंज, रिवाड़ी।
- 7 पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा।
- 8 राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षक।

अधीक्षक, गृह (गोपनीय)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग।